

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

क्रमांक  
प्रति,

/टीसी/130/खरगोन/उपां/नग्रानि/2022

भोपाल,दिनांक:- / /2023

1 कलेक्टर,  
जिला खरगोन (म.प्र.)।

2 सहायक संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश,  
जिला कार्यालय, खरगोन (म.प्र.)।

3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत,  
जिला खरगोन (म.प्र.)।

4 मुख्य नगर पालिका अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
जिला खरगोन (म.प्र.)।

विषय:-

खरगोन विकास योजना, 2035 में पुराना जेल परिसर का मिश्रित एवं मार्ग भूमि उपयोग में उपांतरण बाबत। (ग्राम खरगोन तहसील खरगोन नगर जिला खरगोन का खसरा क्रमांक 246/2 रकबा 0.106 हेक्टेयर एवं 246/1/2 रकबा 0.020 हेक्टेयर कुल रकबा 0.126 हेक्टेयर)

संदर्भ:-

अपर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड, भोपाल का म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23 (क) (1) (क) के अधीन आवेदन पत्र क्रमांक 1250/PAM/MPSAMC/457/2022 दिनांक 19/01/2023

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, म0प्र0 भोपाल द्वारा खरगोन विकास योजना, 2035 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(मुकेश चन्द गुप्ता)

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल,दिनांक:- 31/11/2023

पृ. क्रमांक 533 /टीसी/130/खरगोन/उपां/नग्रानि/2022

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- ✓ 2- संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल क वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

# संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

## सूचना

भोपाल, दिनांक:-31/01/2023

क्रमांक 530 /टीसी/130/खरगोन/उपां/नग्रानि/2022 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट खरगोन विकास योजना 2035 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

### अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )		विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
			कुल रकबा	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा		
1.	ग्राम खरगोन तहसील खरगोन नगर जिला खरगोन	246/2 246/1/2	0.106 0.020	0.106 0.020	वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं मार्ग	मिश्रित एवं मार्ग
कुल रकबा			0.126	0.126		

नोट:-

1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख जवाहर मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर निर्दिष्ट है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

शर्त :-

- 1 उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी।
- 2 उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 एवं खरगोन विकास योजना, 2035 के प्रावधानुसार लागू होंगें।
- 3 स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन तथा वेबसाईट [www.mptownplan.gov.in](http://www.mptownplan.gov.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खरगोन को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर विचार किया जाएगा।

  
(मुकेश चन्द्र गुप्ता)  
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
म.प्र. भोपाल